अनुभाग 28 5164 – II

बिहार सरकार

बिहार सरकार
कृषि विभाग
किसान सलाहकार चयन हेतु विज्ञापन

पंचायत स्तर पर किसानों को कृषि कार्य में सलाह देने हेतु सलाहकार के रूप में चयनित कर उन्हें कृषि प्रसार तंत्र के साथ जोड़ना है। कृषि सलाहकार के चयन हेतु ऑन लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। किसान सलाहकार के रूप में चयन हेतु ऑन लाईन आवेदन कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

मानदेय आधारित चयन हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	पदनाम	रिक्तियों की सख्या	नियुक्ति पदाधिकारी	शैक्षणिक योग्यता	कार्य अनुभव
1.	किसान सलाहकार	अनारक्षित – 563 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–418 पिछड़ा वर्ग– 162 अनु० जाति–414 अनु० जन जाति–66 पिछड़ा वर्ग महिला–87 कुल 1710 (परिवर्तन योग्य)	जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान/कृषि अभियंत्रण /पशु चिकित्सा/ मत्स्यकी/ गब्य तकनिकी /वानिकी/ वनस्पति विज्ञान में स्नातक/ आई० एस० सी० कृषि एवं आई० एस० सी० योग्यताधारी किसान जो पूर्णकालिक रूप से कृषि कार्य करते हों।	प्रगतिशील किसान

चयन हेतु पात्रताएँ :– (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।

किसान सलाहकार के चयन हेतु संबंधित जिला के निवासी अपने गृह जिला में ही आवेदन कर सकते हैं।

(2). उम्र सीमा :– दिनांक– 01.08.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष। उम्र के संबंध में मैट्रिक का प्रमाणपत्र मान्य होगा।

(3) सरकारी सेवा में कार्यरत/संबिदा आधारित नियुक्त व्यक्ति किसान सलाहकार नहीं हो सकते हैं।

(4) **मेघा सूची** :– किसान सलाहकार के चयन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक विषयों के साथ उत्तीर्ण योग्यताधारी अभियार्थियों को प्राथमिकता दी जायगी। उक्त शैक्षिणिक योग्यताधारी अभ्यार्थियों के पश्चात रिक्ति शेष रहने पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से उद्यान/कृषि अभियंत्रण/पशुचिकित्सा/मत्स्यकी/गब्य तकनीकी/वानिक़ी में स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तदुपरान्त रिक्ति शेष रहने पर वनस्पति विज्ञान में स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात रिक्ति शेष रहने पर आई०एस०सी० कृषि योग्यताधारी अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगा। तदुपरान्त रिक्ति शेष रहने पर आई०एस०सी० शैक्षणिक योग्यताधारी किसान अभ्यार्थियों को भी किसान सलाहकार के रूप में चयन किया जायेगा।

प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आवेदकों की मेघा सूची तैयार की जायगी। स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यार्थियों को पाँच प्रतिशत अधिमानता अंक के रूप में दिया जायेगा।

(5) किसान सलाहकार का चयन निम्नप्रकार से गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

- ❖ जिला पदाधिकारी :– अध्यक्ष
- ❖ परियोजना निदेशक, आत्मा :– सदस्य
- ❖ जिला उद्यान पदाधिकारी :– सदस्य

❖ जिला पदाधिकारी, द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि :— सदस्य

❖ जिला कृषि पदाधिकारी :— सदस्य सचिव

अध्यक्ष, सचिव सहित न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति चयन समिति की बैठक के लिए अनिवार्य होगा।

(6) जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं इसे कार्यालय पट एवं विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर आपत्ति लिखित रूप में जिला कृषि पदाधिकारी को दी जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मेधा सूची एवं इस पर प्राप्त आपत्ति को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति प्रारूप मेधा सूची एवं आपत्ति पर विचार कर अंतिम मेधा सूची निर्धारित करेगी। अन्तिम मेधा सूची एवं चयनित किसान सलाहकारों की सूची जिला कृषि कार्यालय के सूचना पट एवं Website पर प्रदर्शित की जायेगी। किसान सलाहकार के चयन में समिति का निर्णय अंतिम होगा। चयनित सलाहकार एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के बीच एक विहित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

(7) जिन जिलों में किसान सलाहकार का पद रिक्त है उनमें तत्काल आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन करते हुये चयन किया जाना है। चयन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करते हुये पुरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

(8) **रिक्त पदों पर किसान सलाहकारों का चयन किया जायेगा। स्वीकृत पद भरे जाने के बाद भी आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रतीक्षा सूची बनाई जायगी जिससे भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भर कर कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके।**

(9) चयनित किसान सलाहकार को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रशिक्षित किया जायेगा।

(10) किसान सलाहकार केन्द्र, सेवा प्रदायी केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। संबंधित सलाहकार घोषित स्थान पर बोर्ड लगायेंगे जिसमें परामर्श का समय भी अंकित करेंगे। यह परामर्श का समय कार्य दिवस में न्यूनतम 6 घंटे की होगी परंतु जब वे किसी बैठक आदि में भाग लेने के लिए कृषि विभाग द्वारा बुलाया जायेगा तो स्वभाविक रूप से इसकी बाध्यता नहीं होगी। सलाहकार द्वारा संबंधित पंचायत का कृषि से संबंधित सूचनाओं को रजिस्टर में रखा जायेगा एवं मांगे जाने पर कृषि विभाग के पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(11) किसान सलाहकार को प्रति माह विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त सलाहकार को निःशुल्क प्रशिक्षण दी जायेगी। किसान सलाहकार को चयन के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद से मानदेय देय होगा। उन्हें क्रमशः प्रशिक्षण के लिए संबंधित संस्थान में जिला कृषि पदाधिकारी/आत्मा द्वारा भेजा जायेगा।

(12) किसान सलाहकार के कार्यों का अनुश्रवण परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी करेंगे। किसान सलाहकार संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रति जवाबदेह होंगे। किसान सलाहकार को मानदेय का भुगतान प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा संतोषप्रद कार्य करने के प्रमाण के बाद संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बैंक खाते में RTGS के माध्यम से मासिक तौर पर किया जायेगा। सभी संबंधित लेखों यथा प्राप्त राशि, भुगतीत राशि इत्यादि का लेखा जोखा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

(13) किसान सलाहकार सरकारी सेवक नही होंगे। सभी वर्गों की भागदारी हेतु जिला स्तर पर लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयन में आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा एवं आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन सुनिश्चित किया जायेगा। आरक्षण

रोस्टर का क्रम पंचायत के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसी प्रकार के बिन्दु पर स्पष्टता की आवश्यकता होने पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति निर्णय ले सकेगी।

(14) किसान सलाहकार का चयन वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए किया जायेगा। उनका संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में इसे एक साल बढ़ाया जा सकेगा। पूर्व से कार्यरत किसान सलाहकार इस वर्ष भी कार्यरत् रहेगें जब तक की उनको चयन समिति नहीं हटावें। संतोषप्रद कार्य मूल्यांकन किसान सलाहकार को सौंपे गये दायित्व पर आधारित होगा। किसान सलाहकार के दायित्व/किये गए कार्य के आलोक में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा ग्रेड ए से डी तक दिये जायेंगे। यह ग्रेड प्रत्येक प्रखंड कृषि पदाधिकारी उस वर्ष के 28 फरवरी तक उपलब्ध करा देंगे।

(15) किसान सलाहकारों के कार्यो का मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। अनुश्रवण के दौरान जिन किसान सलाहकारों का निर्धारित कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जायेगा, एवं जो किसान सलाहकार सरकारी नियमों के विपरीत गतिविधि में शामिल होगें यथा– हड़ताल में संलिप्त रहना, स्थानीय राजनीति का पदाधिकारी के उपर दबाव डालना, स्थानीय राजनीति में संलिप्त रहना, गलत सूचना देना इत्यादि कार्यो में संलिप्त रहते हैं तो उन किसान सलाहकारों को भी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी के अनुशंसा पर चयन मुक्त करने का अधिकार संबंधित जिला पदाधिकारी को होगा।

(16) किसान सलाहकार के चयन प्रक्रिया में उत्पन्न सभी प्रकार के विवादों/मामलों में किसान सलाहकार संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ मेघा सूची प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर अपील दायर कर सकते है। किसान सलाहकार को चयन मुक्त किये जाने पर उनके द्वारा प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक, के समक्ष 30 दिनों के अन्दर अपील दायर किया जा सकता है।

(17) विज्ञापन का सूचना जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी के कार्यालय पट एवं विभागीय वेवसाईट पर सुनिश्चित किया जायेगा। किसान सलाहकार का चयन का विज्ञापन दो हिन्दी लोकप्रिय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा।

(18) किसान सलाहकार के चयन हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित है :–

क्र० सं०	कार्यक्रम	तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि	15.10.2014 से
2.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	17.11.2014 06:00 बजे अपराह्न तक
3.	प्रारूप मेधा सूची का प्रकाशन	24.11.2014 तक
4.	प्रारूप मेधा सूची पर आपत्ति संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	29.11.2014 तक
5.	आपत्तियों का निराकरण	05.12.2014
6.	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	10.12.2014
7.	कांउसेलिंग	15.12.2014 एवं 16.12.2014
8.	चयन संबंधित पत्र का प्रेषण	19.12.2014
9.	सहमति पत्र पर हस्ताक्षर	31.12.2014 तक

07/10/2014
संयुक्त कृषि निदेशक(प्रसार),
बिहार, पटना।

9/10
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक 04/कृ०,प्र०, किसान सलाहकार 08/2014....633 /कृ०,प्र०, पटना दिनांक 09/10/2014

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी सभी/जिला कृषि पदाधिकारी सभी/प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/10
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।

किसान सलाहकार के चयन संबंधित जिलावार एवं कोटिवार रिक्ति की सूचना

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	स्वीकृत बल	अनारक्षित	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़ा वर्ग महिला	कुल चयन
1	2	3	4	7	10	13	16	19	22	24
1	पटना	पटना	331	22	31	12	13	3	5	86
2		नालंदा	249	29	7	11	12	3	4	66
3		भोजपुर	228	23	22	10	12	1	3	71
4		बक्सर	142	7	1	3	3	0	2	16
5		रोहतास (सासाराम)	246	14	35	1	24	3	4	81
6		कैमूर (भभुआ)	151	6	10	4	5	0	3	28
7	मगध (गया)	गया	332	16	39	6	27	3	1	92
8		औरंगाबाद	203	16	15	4	2	2	1	40
9		जहानाबाद	93	5	6	3	4	1	0	19
10		अरवल	68	3	6	0	0	1	0	10
11		नवादा	187	12	9	2	8	2	0	33
12	सारण (छपरा)	सारण (छपरा)	330	43	15	13	17	1	5	94
13		सिवान	293	16	15	7	5	0	2	45
14		गोपालगंज	234	8	11	3	3	0	0	25
15	तिरहुत (मु०पु०)	मुजफ्फरपुर	387	41	18	9	12	2	3	85
16		पूर्वी चम्पारण	410	28	5	5	2	4	10	54
17		पश्चिम चम्पारण	315	7	5	2	4	0	0	18
18		सीतामढ़ी	273	15	12	15	18	3	3	66
19		शिवहर	53	7	0	1	2	1	1	12
20		वैशाली	290	12	3	2	3	3	1	24
21	दरभंगा	दरभंगा	330	0	0	0	8	3	4	15
22		मधुबनी	399	4	25	17	19	4	6	75
23		समस्तीपुर	381	45	13	6	6	4	1	75
24		बेगुसराय	257	24	7	4	14	3	2	54
25	कोसी (सहरसा)	सहरसा	153	8	6	4	2	2	2	24
26		सुपौल	181	6	2	1	1	2	0	12
27		मधेपुरा	170	21	9	2	4	2	0	38
28		खगड़िया	129	26	5	3	7	1	0	42
29	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	251	17	20	4	37	2	6	86
30		कटिहार	238	13	6	1	34	0	3	57
31		अररिया	218	16	14	1	32	2	5	70
32		किशनगंज	126	1	12	1	19	1	2	36
33	भागलपुर	भागलपुर	242	16	3	2	17	1	1	40
34		मुंगेर	101	1	2	0	12	1	0	16
35		जमुई	153	8	10	3	9	1	2	33
36		लक्खीसराय	80	18	4	0	5	1	1	29
37		शेखपुरा	54	3	0	0	1	1	0	5
38		बांका	185	6	15	0	11	2	4	38
कुल योग :–			8463	563	418	162	414	66	87	1710

21/11/14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
बिहार पटना।